6548 S.R.-I

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

14 MAR 2012

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRAD

Z 296340

254/2012

कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

चिरस्थाई पटटा सहकारी

प्रथम पक्ष	:-	आलोक सहकारी आवास समिति लि0
द्वितीय पक्ष	:-	श्रीमति चन्द्रलेखा जैन
प्रीमियम	:-	25,000/-रूपये
निर्धारित दर	:-	5,000/- रूपये प्रति वर्गमीटर
प्लाट नम्बर	:-	172-Phase-II
क्षेत्रफल	:-	162 वर्गमीटर
मालियत	:-	8,10,000/- रूपये
स्टाम्प शुल्क	:-	32,500/- रूपये

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd
Muzaffar...

Chandra Lekha Jain

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी

14 M 20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 296341

हम कि **आलोक सहकारी आवास समिति लि0** मुजफ्फरनगर {पंजीकरण संख्या 1210} {द्वारा **तेजराज गुप्ता** पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता निवासी निवासी 4, प्रेम विहार मुजफ्फरनगर 'सचिव' समिति} {जिसे इसके बाद विलेख में समिति या प्रथम पक्ष कहा जायेगा} प्रथम पक्ष व श्रीमति **चन्द्रलेखा जैन** पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी 61, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर {'सदस्य' आलोक सहकारी आवास समिति लि0 मुजफ्फरनगर जिनकी समिति में सदस्यता नम्बर 1161 है} द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने सदस्यो की आवासीय मॉग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9, 10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि0, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485 मि0 497 मि0, व 498 मि0 तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15 मि0 16,17,18 मि0, को उनके भूस्वामियो से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है, इस भूमि को कालोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र {लेआउट प्लान} बनवा कर नियंत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया। प्रत्येक सदस्य के लिये भूखण्डों का चयन सदस्यो की उपस्थिति में लाटरी पद्धति से किया गया । तदानुसार भूखण्ड संख्या 172 Phase-II

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

14 MAY 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 296342

जिसका विवरण दिया गया है, का आबंटन श्रीमति **चन्द्रलेखा जैन** पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी 61, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर, जिसे इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जायेगा को किया गया है। अतः यह भूखण्ड प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तो पर आवास गृह बनवाने हेतु चिरस्थाई पटटे पर दिया। अतः दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तो से स्वयं को तथा अपने अपने उत्तराधिकारियों को पाबन्द करते है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष और उसके उत्तराधिकारी को आलोक सहकारी आवास समिति लि0 मुजफ्फरनगर के नियमो से पाबन्द होगें।

2. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अंकन 25,000/-रुपये जिसके आधे अंकन 12,500/-रुपये होते है, अदा किये है और प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड से अपना कब्जा मौका पर से उठा कर द्वितीय पक्ष का कब्जा अपने तुल्य करवा दिया है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष आधिपत्य प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर, आबंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण करेगा और यदि किसी कारणवश निर्माण न कर सके तो समिति उक्त को उन कारणो से सूचित कर समिति से

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

3

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 979847

लिखित रूप में, अवधि बढाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा ऐसा न करने की दशा में समिति को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड का प्रतिदान देकर {जिसकी धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई से अधिक नही होगी} चिरस्थाई पट्टा रदद कर दे और अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को चिरस्थाई पटटे पर दें।

4. यह कि द्वितीय पक्ष आबंटित भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आबंटित भू भाग {हर हदूदरबों} से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प {टुल्लू पम्प} इत्यादि नही लगायेगा व सार्वजनिक सडक व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुॅचायेगा तथा पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आबंटित भू भाग के हदूदरबो मे ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नही करेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण मे कोई नाली, रोशनदान, खिडकी ,छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नही निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर, सडक पर पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नही

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

Scanned with OKEN Scanner

Z 294059

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

करेगा। मकान में अवागमन हेतु आवश्यक चौड़ाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नहीं करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण या विक्रय के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा उसका 10 प्रतिशत समिति को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थाई पट्टा स्वतः रद्द माना जावेगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद ,सहकारी बैंक , अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेनें के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप मे रहन रख सकता है और इसके लिये प्रथम पक्ष की अनुमति आवश्यक नही होगी। वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिये उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में प्रथम पक्ष से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नही होगी।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 294060

7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर निर्मित भवन मे कोई ऐसा किरायेदार नही रखेगा जिससे सुरेन्द्रनगर के निवासियों को या प्रथम पक्ष को कोई असुविधा या और हानि हो यदि वह ऐसा करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली करा सकेगे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड मे बनाये गये भवन मे कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नही करेगा।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH V 096776

9. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर मे शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने मे प्रबन्ध कमैटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिये प्रबन्ध कमैटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।

अतः यह **चिरस्थाई पटटा** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें इति।

इस लेखपत्र का निष्पादन प्रथम पक्ष की ओर से समिति के सचिव ने समिति के संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 20.1.2007 ई0 के प्रस्ताव सं0 3/2007 के अनुपालन मे किया। सचिव की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

द्वितीय पक्ष सहकारी समिति का सदस्य है तथा सहकारी समिति के सदस्यो के लिये 50 प्रतिशत की छूट द्वारा नोटिफिकेशन सं0 SR-738/X-33-75 dated 25-4-1981 है। तथा द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क नोटिफिकेशन सं0 SVKN 5-2756/11-2008-500(165) 2007 dated 30 June 2008 के अन्तर्गत अदा किया है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

Scanned with OKEN Scanner

०११२

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 210154

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला **सुरेन्द्रनगर** Phase-II मुजफ्फरनगर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः-

दरोबस्त प्लाट नम्बरी 172 Phase –II जिसकी पैमायश इस प्रकार है:- उत्तरः- 9 मीटर, दक्षिणः- 9 मीटर, पूर्वः- 18 मीटर, पश्चिमः- 18 मीटर, क्षेत्रफलः- 162 वर्गमीटर तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार है:-उत्तरः-भूमि अन्य व्यक्ति, दक्षिणः- रास्ता 9 मीटर चौडा, पूर्वः- प्लाट नं0 171, पश्चिमः- प्लाट नं0 173

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 530099

नोटः- उक्त प्लाट ग्राम शेरनगर के खसरा नम्बर 15 मि0 में स्थित है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

साक्षीगणः-

1- Sandeep Jain
SANDEEP JAIN
S/o Lt. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Meerut Road
Muzaffar Nagar (U.P.)

2- Divya Jain
w/o Mr Rajesh Jain
4, Rainbow Vihar
Meerut Road
Muzaffarnagar

लेखतिथिः- 15-5-2012 ई0

ड्राफटकर्ताः- **संदीप अग्रवाल** एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।
रजि0 नं0 8113/2001

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा नजरी

सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय प्लाट

सम्पत्ति स्थित : पुरन्दरनगर

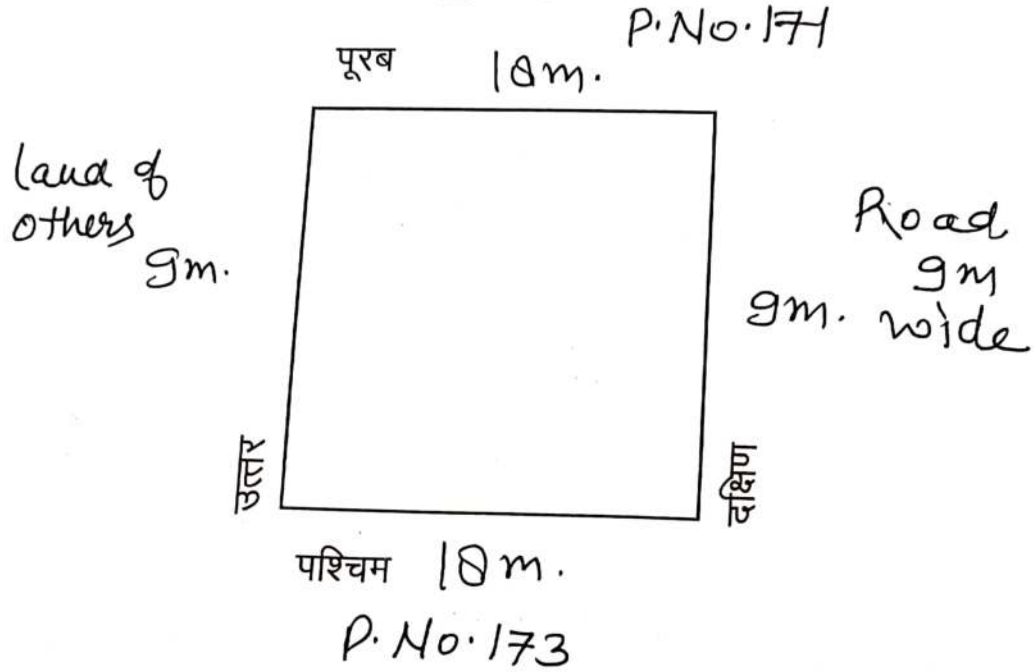

कुल क्षेत्रफल = 162 वर्गमीटर

नम्बर खसरा = 15M. शेरनगर

~~विक्रीत~~ सम्पत्ति के 50 मीटर त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Chandra Lekha Jain

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक **15/05/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **7029**

पृष्ठ सं. **245** से **266** पर क्रमांक **6548**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार {शम्भू नि0लि0}

15/5/2012

कार्यालय उप निबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर
सत्यमेव जयते
उत्तर-प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner